<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>

<u>दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत</u>

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्श 2015 प्र0सु0रि0स0 07

   दिनांक 12.8.2015

2. धारा 201 भा0दं0सं0 तथा 13(1-d) भ्रश्टाचार अधिनियम एक्ट 1988

3. (क) अपराध की घटना : वर्श 2002–12 तक

   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 12.8.2015 समय 10.30 ए0एम0.

   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 04

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) दूरी लगभग 10 कि0मी0 पिजौरं दि ाा उतर।

6. ि ाकायतकर्ता/सूचनादाता

   नाम निरिक्षक राजे ा कुमार

   पिता का नाम .....

   राश्ट्रीयता भारतीय

   व्यवसाय सरकारी नौकरी

   पता थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सैक्टर –17 पचकुला

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   प्रवीण गप्ता कम्पनी सचिव पर्यटन निगम हरियाणा चण्डीगढ।

   लिंग <u>पुरूश</u>

भाशा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

सेवा में, प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो,सैक्टर–17, पचंकूला श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 2 दिनांक 11.07.13 चण्डीगढ, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 35/1/2013–3 चौ0 (ा) दिनांक 04.07.2013 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की जाकर, महानिदे ाक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पृष्ठांकन क्रमांक 11518/आई0–5/रा0चौ0ब्यूरों (ह0), दिनांक 12.07.2013 के अनुसार पड़ताल हेतू श्री कृश्ण कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला को सौंपी गई थी, जिसमें प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 15.05.2013 के आधार पर आरोप की पड़ताल की जानी थी कि श्री प्रवीण गुप्ता, कम्पनी सचिव पर्यटन विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ ने व अन्य अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना व गैर कानूनी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र से बाहर अपने पद का दुरूपयोग करके, बी.ओ.डी. की 112वीं मिटिंग, दिनांक 27.03.2012 में सरकार द्वारा मन्जूर फैंसलें का उल्लंघन करते हुये दस्तावेजों के साथ बदनियती से छेड़छाड़ कर, मैसर्ज हाई प्वाईंट एम्यूजमैन्ट प्राईवेट लिमिटेड को आर्थिक लाभ पंहुचा कर पर्यटन, विभाग को हानि पंहुचाना। जो इस आरोप की पडताल श्री कृश्ण कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो पचंकुला के द्वारा की गई। जो आरेप की पडताल पर पाया गया कि पर्यटन निगम के निदे ाक मडंल की मीटिंग में दिनांक 27.03. 2002 को लिए गए फैसले अनुसार, एम्युजमैन्ट (मनोरंजन) पार्क, पिन्जौर को 10 वर्श के लियें, दिनांक 01.06.2002 से दिनांक 31.05.2012 तक लीज पर देने का निर्णय लिया गया था। जिसमे दो फर्मों के द्वारा टैंडर भरे गये थे। बी0ओ0डी0 की मीटिंग के फैसला के अनुसार मैसर्ज हाई प्वाईंट एम्यूजमैन्ट प्रा0लि0, चण्डीगढ़ के रेट अधिक होने पर, श्री प्रवीन गुप्ता, कम्पनी सचिव ने पत्र दिनांक 18.04.2002 के अनुसार मंडलीय प्रबन्धक, पिन्जौर को लीज ड्राफट इकरारनामा करने के लिये लिखा, जिसके आधार पर मंडलीय प्रबन्धक ने फर्म के डायरेक्टर के साथ 10 वर्श के लिये इकरारनामा कर लिया, जो इकरार नामा की क्लाज न0 1 में श्री प्रवीण गुप्ता, कम्पनी सचिव द्वारा बी0ओ0डी0 से अनुमोदित 10 वर्श के अतिरिक्त पांच वर्श लीज अवधि इस भार्त के साथ डाल दी गई कि यदि दोनों पार्टियां सहमत होंगी तो 5 वर्श का अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। लेकिन बी0ओ0डी0 की मिटिंग के मिन्टस में 5 वर्श का कोई जिक्र नहीं था। बी0ओ0डी0 के सदस्यों द्वारा भी दिनांक 16.04.2002 को ही हस्ताक्षर किये जाने पाये गये है। जबकि फर्म के निदे ाक श्री दिलराज धालीवाल द्वारा 10 वर्श के अतिरिक्त 5 वर्श की अवधि बढाई जाने बारे प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2002 को दिया गया । जो दिनांक 17.04.2002 को ही तत्कालीन प्रबन्धक निदे ाक, श्रीमति नवराज संन्धु आई0ए0एस0 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्रबन्धक निदे ाक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया । जो मैसर्ज हाई प्वाईंट एम्यूजमैन्ट प्रा0लि0, चण्डीगढ का कार्यकाल दिनांक 01.06.12 तक था, जिसके लिए पुनः टैण्डर काल करने के लिए निगम ने दिनांक 03.10.2011 को कार्यवाही भ्रारू करके, दिनांक 24.01.12 को प्रबन्धक निदे ाक, हरियाणा पर्यटन निगम ने टैण्डर काल करने की अनुमति प्रदान कर दी। दिनांक 24.01.12 को ही उक्त फर्म ने उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 9944/2012 दायर की,

जिस पर निगम द्वारा दिनांक 05.07.12 को जवाब दायर किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.05.12 को अन्तरिम आदे ा में स्टे जारी किया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.12 को पैटी ानर को दिनांक 31.08.2012 तक पार्क खाली करने व दिनांक 14.08.2012 तक सभी देनदारियों का भुगतान करने के आदे ा दिए गए। यदि फर्म माननीय उच्च न्यायलय में नही जाती तो निगम समय पर टैण्डर कर लेता और पुरानी फर्म भी टैण्डर में भाामिल हो सकती थी। जो माननीय पजांब एव हरियाणा उच्च न्यायलय चण्डीगढ़ के निर्णय के बाद, समय रहते निगम ने टैंडर दोबारा काल किये जाने पाये गये है। जो जांच से पाया गया कि श्री प्रवीन गुप्ता, कम्पनी सचिव ने पत्र दिनांक 18.04.2002 के साथ लीज ड्राफट भेजकर मंडलीय प्रबन्धक, पिन्जौर को इकरारनामा करने के लिये लिखा, जिसके आधार पर मंडलीय प्रबन्धक ने फर्म के डायरेक्टर के साथ 10 वर्श के लिये इकरारनामा कर लिया, जिसमें क्लाज न0 1 में श्री प्रवीण गुप्ता, कम्पनी सचिव द्वारा बी0ओ0डी0 से अनुमोदित 10 वर्श के अतिरिक्त पांच वर्श लीज अवधि इस भार्त के साथ डाल दी गई कि यदि दोनों पार्टियां सहमत होंगी तो 5 वर्श का अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। बी0ओ0डी0 के फैसले अनुसार लीज अवधि बढाने की कोई भार्त नहीं थी। जिसके लिए बोर्ड या सरकार सक्षम थी। लीज अवधि बढ़ाने की भार्त न तो कमेटी द्वारा प्रस्तुत हुई है और न ही बी.ओ.डी. द्वारा स्वीकृत की गई है। मण्डलीय प्रबन्धक पिन्जौर को निगम की तरफ से लीज एग्रीमैन्ट को एग्जीक्यूटीव करने के लिए अधिकृत किया गया था। फर्म को दी गई लीज में 10 साल के अतिरिक्त 5 साल की लीज अवधि इकरारनामा में डालने के कारण, केस माननीय उच्च न्यायलय पंजाब एव हरियाणा, चण्डीगढ़ में जाने की वजह से निगम निर्धारित दिनांक 31.5. 2012 तक कार्य अलाट नही कर सका। जिस कारण निगम को दिनांक 31.08.2012 से दिनांक 22.01.2013 तक कुल 19,85,237 रूपयें की वितिय हानि होनी पाई गई है, जो इस हानि के बारें में निगम के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। जिसकी रिकवरी बारे श्रीमति सुमिता मिश्रा, आई.ए.एस. प्रबन्धक निदे ाक, एच.टी.सी.के द्वारा दिनांक 22.11.2013 को फाईल पर अनुमोदित किया जाना पाया गया है कि निगम को श्री प्रवीन गुप्ता, कम्पनी सचिव के द्वारा, फर्म को दी गई लीज में 10 साल के अतिरिक्त 5 साल की लीज अवधि इकरारनामा में डालनें के विवाद के कारण वित्तीय हानि हुई है। जो निगम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह रा ाी अभी तक श्री प्रवीण गुप्ता कम्पनी सचिव से रिकवर नही की गई, अतः श्री प्रवीण गुप्ता, कम्पनी सचिव के द्वारा अपने पद का दुरुप्रयोग करके, निगम को 19,85,237/–रूपयें की वितिय हानि पहुचांई जानी तथा उक्त मामलें से सम्बन्धित नोटिंग फाईल को गुम करके या करवाकर, जुर्म जेर धारा 201 भा0दं0सं0 तथा 13(1-d) भ्रश्टाचार अधिनियम एक्ट 1988 का किया जाना पाया गया है। अतः श्री प्रवीण गुप्ता, तत्कालीन कम्पनी सचिव हाल सेवा निवृत के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने का सुझाव दिया जाता है। यदि तफती ा के दौरान किसी अन्य की भी मिली–भगत पाई जायें, तो उसको भी देख लिया जावे। इसके अतिरिक्त निगम को हुई 19,85,237/–रूपयें की वितिय हानि को भी श्री प्रवीण गुप्ता, कम्पनी सचिव से ब्याज सहित वसूल करने का सुझाव दिया जाकर, जाचं की अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जाकर, महानिदे ाक राज्च चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के कार्यालय के पत्र कमाक 8534/रा0चौ0बयूरो(ह0) दिनांक 19.06.15 के द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग,चण्डीगढ को भेजी गई थी। जो अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग,चण्डीगढ के आदे ा कमांक 35/1/2013–3 चौकसी–1 दिनांक 17.07.15 के द्वारा श्री प्रवीण कुमार गुप्ता कम्पनी सचिव पयर्टन विभाग हरियाणा हाल सेवा

निवृत से 19,85,237रुपये की रा ाी को ब्याज सहित वसूल करने व इसके विरुद्ध जेर धारा 201 भा0दं0सं0 तथा 13(1-d) भ्रश्टाचार अधिनियम एक्ट 1988 के तहत अपराधिक अभियोग दर्ज करने के आदे ा प्राप्त होने पर, महानिदे ाक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के आदे ा क्रमांक 10888/1–1 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा व प्रवर पुलिस अधिक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों के आदे ा के अनुसार मुकदमा, प्रवीण कुमार गुप्ता कम्पनी सचिव पयर्टन विभाग हरियाणा हाल सेवा निवृत पुत्र श्री ज्ञाणचन्द वासी मकान न0 126 सैक्टर 46 चण्डीगढ के विरुद्ध जेर धारा 201 भा0दं0सं0 तथा 13(1-d) भ्रश्टाचार अधिनियम एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने के आदे ा प्राप्त होने पर, तहरीर हजा तैयार करके अनुरोध है कि प्रवीण कुमार गुप्ता कम्पनी सचिव पयर्टन विभाग हरियाणा हाल सेवा निवृत के विरुद्ध उक्त धराओं के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अगर दौराने तफती ा किसी अन्य की मिलि–भगत हो तो उसे भी तफती ा के दौरान देख लिया जावे। एस0डी0 ....निरिक्षक राजे ा कुमार थाना राज्य चौकसी ब्यूरों,सैक्टर–17, पंचकूला। अज थाना..... उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके नकुलात प्रथम सुचना रिपोर्ट व स्पे ाल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट पचंकुला बादस्त सि0 सतबीर सिह न0 623 अम्बाला के भेजी जा रही है व नकल मिसल व असज तहरीर हवाले निरिक्षक राजे ा कुमार थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पचकुला अनुसधान अधिकारी के की जा रही है।

हस्ताक्षर
निरिक्षक सुरे ा कुमार
न0 181 एच0ए0पी0
राज्य चौकसी ब्यूरों,
सैक्टर–17, पंचकूला।